

कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(केंद्र कंट्रोल यूनिट)

फा. सं. II-31(218)CCU/JZ/2023/1100

दिनांक: 30.04.2024

Addendum

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा एल.पी.ए. 202/2024 में जारी आदेश दिनांक 24.04.2024 की अनुपालना में, जैसा कि श्रीमान अवर सचिव, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र फा. संख्या ए-12025/2/2023.एडी-11बी दिनांक 26.04.2024 के द्वारा सूचित किया गया है, इस कार्यालय के द्वारा जारी ज्ञापन फा. संख्या II-31(218)सी.सी.यू./जे.जेड/2023/362-391 दिनांक 09.02.2024 में [जिसमें संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा, 2023 के माध्यम से चयनित निम्नलिखित उम्मीदवार को अनंतिम आधार पर कार्यकारी सहायक (समुह-बी, अराजपत्रित) के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया गया था] शर्त संख्या 6 के बाद निम्नलिखित शर्त संख्या 6'अ' को शामिल किया जाता है:-

S. No.	Name of Candidate S/Sh/Ms.	Date of Birth	Appointment Order No. & Date	Present Commission erate
1	SAVDESH KUMAR	18-08-1994	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ Executive Assistant/92471 dated 09.02.2024	CGST (Audit), Jodhpur

शर्त संख्या-6'अ': उपरोक्त नियुक्ति श्री शुभम पाल एवं अन्य द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली की एकल पीठ द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या 16593/2023 में दिये गये आदेश के विरुद्ध, दायर एलपीए संख्या 202/2024 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए जाने वाले फैसले के अधीन होगी (The aforesaid appointment would be subject to the outcome of LPA No. 202/2024 filed by Shubham Pal & Ors before the Hon'ble High of Delhi against the verdict pronounced in the Writ Petition (C) No. 16593/2023 by the Single Bench of the Hon'ble Court).

चेतन जैन
30/4/24
(सी. के. जैन)
प्रधान आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. निजी प्रति ।
2. अवर सचिव, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, Gr. Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi – 110066 को उनके पत्र F. No. A-12025/2/2023-IIIB दिनांक 26.04.2024 के संदर्भ में प्रेषित ।
3. आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. अंकेक्षण आयुक्तालय, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस एडेन्डम की प्रति विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड करवाकर आपके आयुक्तालय के अधीन पदस्थापित श्री स्वदेश कुमार, कार्यकारी सहायक को यथाशीघ्र सुपुर्द करवाकर दिनांकित पावती इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ।
4. अधीक्षक (प्रशासन/सतर्कता), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर ।
5. वेतन एवं लेखा अधिकारी, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क, जयपुर ।
6. निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका / गार्ड फाईल / नोटिस बोर्ड/वरीयता सूची ।
7. वेबमास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

चेतन जैन
30/4/24
(सी. के. जैन)
प्रधान आयुक्त